



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 15 अक्टूबर, 2025

आश्विन 23, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-3

संख्या 257/12-3-2025-100(61)-2012 टी0सी0-II/1708195

लखनऊ, 15 अक्टूबर, 2025

अधिसूचना

प0आ0-193

चूँकि, सेवायें या प्रसुविधायें या सहायिकी प्रदान करने के पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएं सुगम हो जाती हैं, पारदर्शिता और दक्षता आ जाती है, और लाभार्थी अपनी पहचान साबित करने के लिए बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुये सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे अपना हक प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं;

और, चूँकि, कृषि विभाग, (जिसे आगे "विभाग" कहा गया है) फसल कृषि कर्म और मृदा संरक्षण से सम्बन्धित नीचे दी गयी योजनायें (जिन्हें आगे "योजना" कहा गया है) प्रशासित कर रहा है, जो कृषि विभाग (जिसे आगे "क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण" कहा गया है), के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं;

क-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-

(1) नेशनल प्रोजेक्ट ऑन स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी।

ख-राज्य निधिकृत योजनायें-

(1) नि: शुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम।

(2) बुन्देलखण्ड एकीकृत कृषि विकास (सोलर फेन्सिंग) योजना।

(3) नि:शुल्क दलहनी बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम।

(4) जैव कल्चर उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग के प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम की योजना।

(5) त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम।

(जिन्हें आगे "योजनाएं" कहा गया है)

और, चूंकि, पूर्वोक्त योजनाओं के अधीन क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण द्वारा विद्यमान योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कृषकों तथा श्रमिकों (जिन्हें आगे “लाभार्थी” कहा गया है) को सीधे सहायिकी प्रसुविधा अंतरण (जिन्हें आगे “प्रसुविधा” कहा गया है) प्रदान किया जाता है;

और, चूंकि, पूर्वोक्त योजनाओं में उत्तर प्रदेश की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्विष्ट हैं;

अतएव, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे “उक्त अधिनियम” कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार एतद्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1—(1) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति से एतद्वारा आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन कराने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) उक्त योजनाओं के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, जो आधार संख्या धारित न करता हो या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन न किया हो, से उक्त योजना को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जायेगी, परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसे व्यक्ति को आधार हेतु नामांकित किये जाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची] पर जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग से ऐसे लाभार्थियों, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित न हों, के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान किये जाने की अपेक्षा की जायेगी, और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न हो तो विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार होकर सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधायें प्रदान करेगा:

परन्तु यह कि आधार किसी व्यक्ति को समानुद्देशित किये जाने के समय तक उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें, ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज के प्रस्तुत किये जाने के अध्येधिन प्रदान की जायेंगी, अर्थात्:—

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:—

(एक) फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(दो) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(तीन) पासपोर्ट; या

(चार) राशन कार्ड; या

(पांच) मतदाता पहचान-पत्र; या

(छः) मनरेगा कार्ड; या

(सात) किसान फोटो पासबुक; या

(आठ) मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या

(नौ) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सरकारी शीर्षनामा पर जारी किया गया ऐसे व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान प्रमाण-पत्र; या

(दस) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जाँच विभाग द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

2—उक्त योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि मीडिया के माध्यम से लाभार्थियों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, उन्हें उक्त आवश्यकताओं से अवगत कराने के लिए किया जायेगा।

3-समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाये जायेंगे, अर्थात्:-

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, जिससे विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सहज रीति से प्रसुविधाओं के परिदान के लिए फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के साथ ही साथ आईरिस स्कैनर या फेस अधिप्रमाणन के लिए उपबन्ध करेगा;

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, तो जहाँ कहीं संभाव्य और अनुज्ञेय हो सीमित समय की वैधता के साथ यथास्थिति आधार वन-टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन, प्रस्तावित किया जा सकता है;

(ग) अन्य समस्त मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन-टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव न हो, वहां उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं ऐसे भौतिक आधार पत्र के आधार पर दी जा सकती हैं जिसकी अधिप्रामाणिकता, आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पांस कोड (क्यू0 आर0 कोड) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और क्विक रिस्पांस कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था, विभाग द्वारा अपनी क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4-उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उक्त योजना के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से डी0बी0टी0 मिशन कार्यालय ज्ञाप संख्या डी-26011/04/2017- डी0बी0टी0, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार दिनांक 19 दिसंबर, 2017 में यथा रेखांकित अपवाद हैंडलिंग तंत्र का अनुसरण करेगा।

5-यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,
रवीन्द्र,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 257/12-3-2025-100(61)-2012-T.C.-II/1708195, dated October 15, 2025 :

No. 257/12-3-2025-100(61)-2012-T.C.-II/1708195

Dated Lucknow, October 15, 2025

WHEREAS, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

AND, WHEREAS, the Department of Agriculture (hereinafter referred to as the "Department"), is administering the Schemes given below (hereinafter referred to as the "Scheme") regarding Crop husbandry and soil conservation, which are being implemented through the Department of Agriculture (hereinafter referred to as the "Implementing Agency");

A. Centrally Sponsored Schemes-

(1) National Project on Soil Health and Fertility.

B. State Funded Schemes-

(1) Nihshulk Tilhan Beej Minikit Vitran Evam Prasar Karyakram.

(2) Bundelkhand Ekikrit Krishi Vikas (Solar Fencing) Scheme.

(3) Free Pulses Seed Minikit Distribution and Dissemination Programme.

(4) Scheme for Strengthening of Organic Culture Production Laboratories Programme for Promotion of use of Bio-fertilizers.

(5) Accelerated Maize Development Programme.
(hereinafter referred to as the "Schemes")

AND, WHEREAS, under the aforesaid Schemes, direct benefit transfer of subsidy (hereinafter referred to as the "benefit") is given to the farmers and labours (hereinafter referred to as the "beneficiaries"), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

AND, WHEREAS, the aforesaid Schemes, involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Uttar Pradesh.

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) (hereinafter referred to as the "said Act"), the State Government of Uttar Pradesh hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Unique Identification Authority of India (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :-

(A) If he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(B) Any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no.59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One-Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One-Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response Code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response Code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the office Memorandum No.- D-26011/04/2017-DBT of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December, 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official *Gazette*.

By order,
RAVINDER,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 254 राजपत्र-2025-(769)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० कृषि-2025-(770)-2000 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।